न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सोनू कुमारी (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 05/2025 **दायर दिनांक 20.01.2025**

उनवान मुकदमा

1. श्री दिपेश त्रिवेदी पिता स्व. श्री देवीलाल जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती रमीला त्रिवेदी पत्नी स्व. श्री देवीलाल जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील बांसवाड़ा (राज.)

-वादीगण

बनाम

1. श्री नवीन पिता स्व. श्री मानशंकर जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमुकेश त्रिवेदी श्री मानशंकर जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी जरिए तहसीलदार बांसवाडा जिला बांसवाड़ा (राज.)

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,209 राज. का. अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-17.12.2025

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पिता श्री मानशंकर पिता श्री भूरतराम एवं श्री देवशंकर पिता भुरतराम निवासी ठिकरीया के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 118 (नया), 110 (पुराना) के खसरा नम्बर 25 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा लगान 2.00 रु एवं खसरा नम्बर 26 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा लगान 1.56 रु, खसरा नम्बर 89 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा लगान 3.94 रु, खसरा नम्बर 205 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा लगान 2.87 रु, खसरा नम्बर 504 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा लगान 3.87 रु, खसरा नम्बर 506 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा लगान 2.94 रु, व खसरा नम्बर 1052/557 रकबा 05 बिस्वा लगान 0.62 रु कुल खेत 07 कुल रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा कुल लगान 17.80 रु वाके ग्राम ठिकरीया पटवार हल्का ठिकरीया तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित होकर श्री मानशंकर व श्री देवशंकर काबिज होकर काश्त कर रहे थे। श्री देवशंकर लाऔलाद फौत हो गये जिसके पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि श्री मानशंकर उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे। श्री मानशंकर की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र देवीलाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा देवीलाल की मृत्यु के पश्चात् उनका पुत्र वादी संख्या 1 एवं श्री देवीलाल की पत्नी वादिया संख्या 02 उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है और राज्य सरकार में लगान अदा कर रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि (कुल खेत 07 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा कुल लगान 17.80 रुपया)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

पर वादीगण संयुक्त रूप से 1/3 हित व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हित व हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 506 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा एवं एक अन्य खाता ग्राम पलोदारा पटवार हल्का रियापुर तहसील बांसवाड़ा में स्थित खाता संख्या 100 नया, 96 पुराना का खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 0.7847 हैक्टेयर लगान 1.24 रु हित व हिस्सा दर्ज किया गया, को मिलाकर 1/3 हिस्सा हित व हिस्सा है। परन्तु वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की उपरोक्त कृषि भूमि का खाते में बिना किसी विधिक आदेश, निर्णय व डिक्री के राजस्व अभिलेख में गलत रूप से इन्द्राज कर कृषि भूमि का खाता पृथक-पृथक अवैध रूप से खाते दर्ज कर दिये। चूंकि वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 89 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा को खाता संख्या 275 नया, 221 पुराना को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया जबकि उपरोक्त कृषि भूमि पर मौके पर हिस्से अनुसार कब्जा काश्त वादीगण का है। उसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 504 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा जिसका खाता संख्या 223 नया, 221 पुराना को वादीगण के खाते में दर्ज कर दिया जबकि उपरोक्त कृषि पर प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर हिस्से अनुसार काबिज है। जिस कारण उपरोक्त कृषि भूमि को लेकर अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो रहे है। तथा मौके पर कब्जे अनुसार हिस्सा दर्ज नहीं होने से एवं अपनी कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए एवं ऋण प्राप्त करना चाहते है तथा खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहे है जिस कारण वादीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के कब्जे अनुसार हिस्से की खातेदारी घोषणा के अधिकारी है। जिसके लिए यह वाद अन्तर्गत 88 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश है।

उपरोक्त वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का 1/3 हित व हिस्से अनुसार खाता संख्या 275 नया, 244 पुराना के खसरा नम्बर 25 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वादीगण को एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हित व हिस्से अनुसार खसरा नम्बर 205 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 504 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का हित व हिस्से अनुसार खाता संख्या 455 नया, 221 पुराना का खसरा नम्बर 506 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा व अन्य खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 100 नया, 96 पुराना का खसरा नम्बर 264 रकबा 0.7847 हैक्टेयर अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रह है। जिस कारण उपरोक्तानुसार हित व हिस्से के अनुरूप राजस्व अभिलेख में एवं मौके पर विधिवत् विभाजन राजस्व अभिलेख व मौके पर वादीगण के नाम पृथक खाता कायम करने हेतु यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियत के तहत् श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार बांसवाड़ा को आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी सहमति होने से राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को वाद में वर्णित कृषि भूमि में संयुक्त रूप से खातेदार घोषित करने एवं हित व हिस्से के अनुरूप राजस्व अभिलेख में एवं मौके पर विधिवत् विभाजन कर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम पृथक-पृथक खाता कायम करने हेतु निवदेन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता मय पक्षकारान् ने अपने सुक्ष्म हस्ताक्षर कियें। राजीनामा बाद तस्दीक स्वीकार कर वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि, वादग्रस्त भूमि खाता संख्या कि पक्षकारान् के बीच राजीनामा अनुसार हाल खाता संख्या 275 नया, 244 पुराना के खसरा नम्बर 25 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खाता संख्या 233 नया, 221 पुराना के खसरा नम्बर 205 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 504 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खाता संख्या 455 नया, 221 पुराना के खसरा नम्बर 506 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा एवं एक अन्य खाता ग्राम पलोदरा पटवार हल्का सियापुर तहसील बांसवाड़ा में स्थित खाता 100 नया, 96 पुराना का खसरा नम्बर 264 रकबा 0.7847 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि होने से संयुक्त रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जाना एवं वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में राजीनामा अनुसार पृथक-पृथक खाता कायम कर राजस्व अभिलेख मे प्रविष्ठियां किया जाना उचित है।

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

-::आदेश::-

वादी का वाद एवं वादीगण एवं प्रतिवादी के राजीनामे को स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ठिकरीया पटवार हल्का ठिकरीया तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 275 नया, 244 पुराना के खसरा नम्बर 25 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा में वादीगण के हिस्से, खसरा नम्बर 205 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 504 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से तथा खाता संख्या 455 नया, 221 पुराना का खसरा नम्बर 506 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, एवं एक अन्य खाता ग्राम पलोदरा पटवार हल्का सियापुर तहसील बांसवाड़ा में स्थित खाता 100 नया, 96 पुराना का खसरा नम्बर 264 रकबा 0.7847 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में दर्ज कर तद्नुसार पृथक-पृथक खाता कायम कर राजस्व अभिलेख मे प्रविष्ठियां की जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बांसवाडा को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई
(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाड़ा
इजलास : सुश्री सोनू कुमारी (आई.ए.एस)
प्रकरण संख्या :- 05/2025
उनवान मुकदमा

1. श्री दिपेश त्रिवेदी पिता स्व. श्री देवीलाल जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती रमीला त्रिवेदी पत्नी स्व. श्री देवीलाल जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील बांसवाड़ा (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. श्री नवीन पिता स्व. श्री मानशंकर जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमुकेश त्रिवेदी श्री मानशंकर जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी जरिए तहसीलदार बांसवाडा जिला बांसवाड़ा (राज.)

– प्रतिवादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,209 राज. का. अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 17.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हाजरी वकील वादी श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वादी का वाद एवं वादीगण एवं प्रतिवादी के राजीनामे को स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ठिकरीया पटवार हल्का ठिकरीया तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित हाल खाता संख्या 275 नया, 244 पुराना के खसरा नम्बर 25 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खाता संख्या 233 नया, 221 पुराना के खसरा नम्बर 205 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 504 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खाता संख्या 455 नया, 221 पुराना का खसरा नम्बर 506 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, व एक अन्य खाता ग्राम पलोदरा पटवार हल्का सियापुर तहसील बांसवाड़ा में स्थित खाता 100 नया, 96 पुराना का खसरा नम्बर 264 रकबा 0.7847 हैक्टेयर भूमि का संयुक्त रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वाद में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा में वादीगण के हिस्से, खसरा नम्बर 205 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 504

Sonu
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से तथा खसरा नम्बर 506 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, व एक अन्य खाता ग्राम पलोदरा पटवार हल्का सियापुर तहसील बांसवाड़ा में स्थित खाता 100 नया, 96 पुराना का खसरा नम्बर 264 रकबा 0.7847 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से दर्ज कर तद्नुसार पृथक-पृथक खाता कायम कर राजस्व अभिलेख मे प्रविष्ठियां की जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है। वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बांसवाडा को भिजवाई जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 17.12.2025 को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * बांसवाड़ा (राजस्थान)

Sonu
(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबतइजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * बांसवाड़ा (राजस्थान)

Sonu
(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner